

अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखने में हुये
विलम्ब का कारण

राज्य कर अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं को समय से सदन के पटल पर रखे जाने में हुये विलम्ब का कारण "मुद्रित प्रतियाँ राजकीय मुद्रणालय से ससमय प्राप्त न होना एवं विधान मण्डल का द्वितीय सत्र-2020 का अत्यधिक लघु होना है, जो कि प्रक्रियात्मक विलम्ब है।"

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 24 जुलाई, 2020
श्रावण 2, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 869/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(130)-2020

लखनऊ, 24 जुलाई, 2020

शुद्धि-पत्र

प०आ०-164

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या क०नि०-2-177/ग्यारह-9(42)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(03)-2019, दिनांक 22 जनवरी, 2019 में -

हिन्दी पाठ में,-

(क) प्रथम परंतुक में, प्रथम पंक्ति में, शब्द "केन्द्रीय कर" के स्थान पर शब्द "राज्य कर" पढ़े जायें।

अंग्रेजी पाठ में,-

(a) In first proviso, in first line, at the place of words "central tax" read words "state tax".

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।